

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या-169/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-55/2009
देहरादून: दिनांक 11 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन; है अतः श्री राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या-2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या-300/XXVII(9)/स्टाम्प-55/2009 दि० 31 मार्च, 2010 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना में निहित उद्देश्यों के लिये दि० 31.10.2012 की तारीख तक रू 5,00,000.00 (रूपये पांच लाख मात्र) तक के ऋण पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)
सचिव ।

संख्या-169/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-55/2009 तददिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. उप-निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध करा दें।।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
सचिव ।